

राजस्थान राज्य राजमार्ग प्राधिकरण

(सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान सरकार)

कार्यालय परियोजना निदेशक, रा.रा.रा.प्रा., पी.आई.यू.-अजमेर

(ई-मेल: PDPPPAJMER@RAJASTHAN.GOV.IN)

क्रमांक:- 319

दिनांक:- 11-01-2024

श्रीमान् उप वन संरक्षक,
अजमेर।

विषय:- Diversion of 4.9696 ha forest land for Development of Bewar Masuda-Goyala Road, Section of SH-26A From Km. 2+550 to Km. 72,400, in the state of Rajasthan.(Proposal No. FP/RJ/ROAD/21332/2016).

- संदर्भ:- 1. उपमहानिरीक्षक एवं क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, गांधीनगर का पत्र क्रमांक: 8B/RAJ033/2023-JPR (73/2023/IRO-GNR दिनांक: 09.11.2023।
2. श्रीमान् उप वन संरक्षक (एफ.सी.ए.) अरण्य भवन, जयपुर के पत्र क्रमांक एफ. 14()2016 / एफसीए / प्रामुवसं / 8360-61 दिनांक 15.12.202।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि उक्त प्रस्ताव का अवलोकन करने के उपरान्त उपमहानिरीक्षक एवं क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, गांधीनगर द्वारा जरिए पत्र क्रमांक : 8B/RAJ033/2023-JPR (73/2023/IRO-GNR दिनांक: 09.11.2023 को आक्षेप लगाए थे, जिसकी अनुपालना रिपोर्ट अग्रिम कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

क्र.सं.	आक्षेप	पालना
1.	This proposal was registered by the user agency online on Parivesh Portal in year 2016. The proposal received at Regional Office in year 2023 for the first time. Thus, State Govt. is requested to clarify the reason for so much delay in processing of the proposal.	उक्त बिंदु की पालना में अवगत करवाना है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा क्षतिपुरक वृक्षारोपण हेतु समुल्य गैर वन भूमि आवंटन करने बाबत् जिला कलेक्टर अजमेर को आवेदन किया गया था एवं उक्त की अनुपालना में कलेक्टर अजमेर द्वारा ब्यावर में गैर वन भूमि आरक्षित कि गयी थी परन्तु उपवन संरक्षक अजमेर द्वारा उक्त आरक्षित गैर वन भूमि को वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त नहीं बताया गया अतः प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा पुनः गैर वन भूमि आवंटन करवाने की दुबारा प्रक्रिया शुरू कि गयी तथा कोरोना काल के दौरान उक्त प्रकरण पर कोई कार्यवाही नहीं हो पाई। इस कारण उक्त प्रस्ताव में विलम्ब हुआ है।
2.	Widening of road के प्रस्ताव में forest land की एक छोटी strip छोड़ी गयी है जिसका कोई Justification प्रस्तुत नहीं किया गया है। भविष्य में इस strip में अतिक्रमण होने की सम्भावना है। यदि road की widening आवश्यक है तो इस strip को Diversion प्रपोजल में शामिल करते हुए नया प्रस्ताव Parivesh 2.0 Portal द्वारा प्रेषित करें।	उक्त बिंदु की पालना में अवगत करवाना है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्ताव के भाग 1 में प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित सड़क के ROW हेतु तैयार कि गई KML फाइल में दर्शायी गई प्रत्यावर्तित वन भूमि की KML शिपिंग दिखाई दे रही है। जिसे संशोधित कर पुनः अपलोड कर दिया गया है। अतः किसी प्रकार की अतिरिक्त पट्टी शेष नहीं है। केवल KML शिपिंग के कारण रोड़ दूसरी ओर (LHS) में पट्टी दिखाई दे रही थी, जो कि वास्तव में सड़क के ROW तक ही आती है। इसी क्रम में अवगत कराना है कि उक्त परियोजना मौजूदा सड़क की चौड़ाईकरण से संबंधित है एवं प्रस्तावित वन भूमि न्यूनतम है एवं इसके अतिरिक्त वन भूमि की आवश्यकता नहीं होगी।

अतः महोदय से निवेदन है कि उक्त प्रस्ताव में स्वीकृति दिलवाने का कष्ट करें ताकि लम्बे समय से लम्बित परियोजना का कार्य समय पर सम्पादित किया जा सके।

अनिल धोलिया)

उप महाप्रबंधक (तकनीकी)
सह परियोजना निदेशक
राजस्थान राज्य राजमार्ग प्राधिकरण,
पी.आई.यू.-अजमेर

P.T.O.

क्रमांक:-

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है। :-

दिनांक:-

1. श्रीमान् सदस्य, राजस्थान राज्य राजमार्ग प्राधिकरण, जयपुर।
2. श्रीमान् अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता (पीपीपी), सानिवि, राजस्थान, जयपुर।
3. श्रीमान् उप वन संरक्षक (एफ.सी.ए.) अरण्य भवन, जयपुर।

2/10/24 11.1.24

उप महाप्रबंधक (तकनीकी)
सह परियोजना निदेशक
राजस्थान राज्य राजमार्ग प्राधिकरण,
पी.आई.यू.-अजमेर